

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**—::कार्यालय आदेश::—**

का0आ0-15/बि0स0से0-01-16/2024 सा0प्र0...../, पटना-15, दिनांक.....

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-3(3)(ख) के तहत गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक-25.02.2026 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर श्री प्रेम सागर पाण्डेय, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके नाम के सामने स्तम्भ-06 में अंकित विभाग में संविदा के आधार पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियोजित किया जाता है:-

| क्र० सं० | नाम                     | पदनाम                   | जन्म तिथि  | सेवानिवृत्ति की तिथि | नियोजन का विभाग/कार्यालय     |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                       | 4          | 5                    | 6                            |
| 1.       | श्री प्रेम सागर पाण्डेय | सहायक प्रशाखा पदाधिकारी | 19.02.1966 | 28.02.2026           | जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना |

2. यह नियोजन योगदान की तिथि से दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा।

3. श्री पाण्डेय के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4. इनके द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. उक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के विरुद्ध किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने पर नियोजन रद्द हो जायेगी।

6. आरक्षण के लाभ की अनुमान्यता के आधार पर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र योगदान के समय प्राप्त कर लेने तथा उसकी प्रामाणिकता की सम्पुष्टि अनिवार्य होगा।

7. इनका नियोजन जिस पद विशेष से सेवानिवृत्त हुए हैं उसी पद पर अथवा समकक्ष पद पर होने के संबंध में सुनिश्चित हो लेंगे।

8. संकल्प की कंडिका-3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका-3(6)(iv) के तहत सेवा निवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संविदा अवधि में स्थिर रहेगी। मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा। उपर्युक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को उनके योगदान की तिथि से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

9. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(7)(iii) एवं परिपत्र संख्या-8710 दिनांक-11.08.2021 सह-पठित परिपत्र संख्या-13522 दिनांक-17.11.2021 के आलोक में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण किया जायेगा।

10. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका-3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

बाइसे

11. उक्त संविदा नियोजित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

12. उन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

13. श्री पाण्डेय को कोई वित्तीय दायित्व नहीं सौंपा जायेगा। वित्तीय शक्ति दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-11899 दिनांक-06.10.2021 का अनुपालन प्रशासी विभाग/कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-15/ बि0स0से-01-16/2024 सा0प्र0...../, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-22 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री प्रेम सागर पाण्डेय, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-01-16/2024 सा0प्र0.129...../पटना-15, दिनांक:-06.03.26

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मने 06.03.26

सरकार के अवर सचिव।